

e-Challan

Registration and Stamps department Government of Rajasthan

GRN: 0096658661



Payment Date: 08/11/2024 20:10:20

Office Name: SUB REGISTRAR-I REGISTRATION & STAMPS, SANGANER

Location: JAIPUR (CITY)

Period: 01/04/2024-To-31/03/2025

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	50.00

Commision(-): 0.00

Total/NetAmount: 50.00

Fifty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: Rahul Choudhary

Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :

Pan No.(If Applicable):

City(Pincode): Jaipur(302021)

Address:101 a heera nagar a east
Ajmer road near 200 ft bypass

Remarks:

Payment Details:

Challan No. - 0

Bank: SBlePAY(Credit/Debit Cards)

Bank CIN No: SBIN9665866108112024

Date: 08/11/2024 20:10:20

Refrence No: 2272999778439

Computer generated copy on : 09/11/2024

Courtsy : <https://Egras.rajasthan.gov.in>

J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017
Mobile: - 9772204880
Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

Title Clearance Report

Dear Sir/ Madam

Re: Legal and title report of M/s Sanjeevani Buildhome for 52 plots (122-173)
[Phase-V]

Name of Current Owner: M/s Sanjeevani Buildhome Registered Address:- Ajit Tower, Second Floor, Near Galaxy Cinema, Shipra Path, Mansarover, Jaipur Through its Partner Shri Sunil Maheshwari Son Of Shri Brajmohan Malpani Resident Of Flat No. B-101, Mahima Iris Apartment, New Sanganer Road, Big Bazar Ke Samne, Swej Farm, Ramnagar, Jaipur, Rajasthan.

Property Description:

Property situated at Khasra No. 749/504 Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna, Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur), Rajasthan, measuring 1.0100 hectares (10,000 sq. mtrs.). The property is part of the "Green Vihar" [Phase-V] residential scheme and includes the following 52

plots:



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

Mobile: - 9772204880

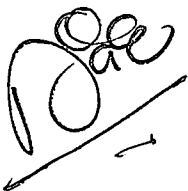
Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

s. no	Plot no.	Area (sq. yards)	s. no	Plot no.	Area (sq. yards)
1	122	128.75	2.	123	125.0
3	124	125.0	4.	125	125.0
5	126	125.0	6.	127	125.0
7	128	194.62 (corner)	8	129	169.62 (corner)
9	130	125.0	10	131	125.0
11	132	125.0	12	133	125.0
13	134	185.84	14	135	101.28
15	136	125.0	16	137	125.0
17	138	125.0	18	139	125.0
19	140	169.62 (corner)	20	141	194.62 (corner)
21	142	125.0	22	143	125.0
23	144	125.0	24	145	125.0
25	146	125.0	26	147	128.75
27	148	128.75	28	149	125.0
29	150	125.0	30	151	125.0
31	152	125.0	32	153	125.0
33	154	194.62 (corner)	34	155	169.62 (corner)
35	156	125.0	36	157	125.0
37	158	125.0	38	159	174.35
39	160	69.75	40	161	93.89
41	162	96.06	42	163	98.22
43	164	135.78 (corner)	44	165	165.03 (corner)
45	166	109.82	46	167	117.82
47	168	126.33	48	169	134.83
49	170	141.11	50	171	134.87
51	172	126.70	52	173	118.52

Dear Sir,

I have Perused following documents given by you in respect of above referred property for the purpose of giving my legal opinion for title of the property viz:-

A List of documents submitted before me/us for scrutiny and legal opinion:



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017

Mobile: - 9772204880

Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

1. The land conversion order number राजस्व आ०यो०/2019/306-309 dated 11.02.2019 issued by Sub-Divisional Officer, Dudu (Jaipur) in favour of Radhika Gupta.
2. The Patta dated 28.02.2019 in favour of Radhika Gupta.
3. The approved layout plan for "Green Vihar" [Phase-V] project
4. Sale deed dated 05.09.2024 between Radhika Gupta and M/s Sanjeevani Buildhome.
5. The copy of Jamabandi dated 16.10.2024

B. Devolution/History of Title:

WHEREAS, Radhika Gupta who was the recorded khatedar of the property situated at Khasra No. 796/504 Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna, Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur), Rajasthan applied for change of land use from agricultural to residential and the same was granted by Sub-Divisional Officer, Dudu (Jaipur) vide its order number राजस्व आ०यो०/2019/305 dated 11.02.2019 in favour of Radhika Gupta.

Thereafter, the patta was registered on 28.02.2019 at Sub-Registrar, Mojmabad in favour of Radhika Gupta for the abovementioned property.

Subsequently, a layout plan for the residential scheme named "Green Vihar" [Phase-V] was submitted and approved by the competent authority. This approved layout plan delineated the division of the 10000 square meters of land into various residential plots, roads, and other amenities as required by local development regulations, including the 52 plots (admeasuring 6859.33 Sq. yds.)



J&J
Jain & Jain Law Chambers

ANKIT JAIN, Advocate

Chamber No. 102 E block, Rajasthan High Court, Jaipur- 302005

Office & Res: - 14/148, Malviya Nagar, Jaipur – 302017
Mobile: - 9772204880
Email: - ankitjainadvocate@hotmail.com

that are the subject of this report.

That, thereafter, the abovementioned khatedar through a registered sale deed dated 05.09.2024 transferred the ownership of the abovementioned 52 plots to M/s Sanjeevani Buildhome. This sale deed effectively conveyed all rights, title, and interest in the converted land situated at Khasra No. 749/504 Village Kotjewar, Patwar Halka Jharna, Land Record Inspector Mehla, Tehsil Mojmabad, District Dudu (Jaipur), Rajasthan measuring 6859.33 Sq Yards out of 11960.00 sq yards (rest of the area is for the road i.e. 4499.19 sq yards and park i.e. 601.48 sq yards). The sale deed of measuring 6859.33 sq yards was duly registered with the appropriate Sub-Registrar's office, thereby legally completing the transfer of ownership of the 52 plots from Radhika Gupta to M/s Sanjeevani Buildhome.

C. Conclusion:

I, hereby, state that the information provided regarding the property ownership is based solely on the documents presented to us. M/s Sanjeevani Buildhome, the current owner, asserts that they possess a valid, absolute, and clear title to the aforementioned property, which is also marketable and mortgageable.

Regards

Ankit Jain
Advocate

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमां/राजस्व आ0यो0/2019/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमति राधिका गुप्ता धर्मपत्नि श्री अमन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे टूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्रीमति राधिका गुप्ता धर्मपत्नि श्री अमन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे टूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0 नही।
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं।	
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा -	
	(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद
	(ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर
	(स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर में से 10000 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 10000 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संशोधन प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27741294 दिनांक 23/01/2019 राशि 75,000/- रुपये अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले-आउट प्लान संलग्न हैं।
11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उप पजीयक
मौजमाबाद (जयपुर)

3.	नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5.	आवेदक को सम्पारिवर्तित भूमि के एक हटायें गए वृक्ष के एवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छायादार या घने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटायें जाने योग्य 01 पेड़ की एवज में 03 वृक्ष लगाने की शर्त पर उक्त 01 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नहीं लगायें गये वृक्षों के लिए 500/- रुपये प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा कराना होगा।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बैचान नहीं किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9.	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6) राज-6 92 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10.	आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाइप लाइन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/05/2008 के अनुसार पाइप लाइन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) एसई/स्थानि/जैसलमेर/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं बनानी होगी।
16.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली,पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी
17.	कुल सम्पारिवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2007 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018/03 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के क्रम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूद (जयपुर)

दिनांक/11/02/2019

क्रमांक/राजस्व-आ0यो0/2019/306-309

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भू.रू./17/2133 दिनांक 27/03/2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोड़ा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
- ✓ 4. श्रीमति राधिका गुप्ता धर्मपति श्री अमन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे टूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूद (जयपुर)

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमां/राजस्व आ0यो0/2019/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्रीमति राधिका गुप्ता धर्मपति श्री अनन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे दूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अनेधुति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अनेधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्रीमति राधिका गुप्ता धर्मपति श्री अनन गुप्ता जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे दूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है।	नहीं।
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा -	
(अ)	ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद
(ब)	भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर
(स)	प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर में से 10000 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 10000 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 27741294 दिनांक 23/01/2019 राशि 75,000/- रुपये अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	ले-आउट प्लान संलग्न है।
11.	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-	
1.	उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।	

3	नियम-4 में गणतर्जित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4	लोकप्रयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5	आवेदक को संपरिवर्तित भूमि के एक हटाने में एक वृक्ष के एक तर्प में एक तर्प की अवधि में तीन छायादार या घने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटाने जाने योग्य 01 पेड़ की एक तर्प में 03 वृक्ष लगाने की शर्त पर उक्त 01 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नहीं लगाने वाले वृक्षों के लिए 500/- रुपये प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा करना होगा।
6	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जंक्शन से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इण्डियन रोड कमीशन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निशुल्क राज्य पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
7	राष्ट्रीय राजमार्ग से सरता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से सरता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बैधान नहीं किया जायेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/02 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प.6(6) राज-6/02 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार मालना सुनिश्चित की जायेगी।
10	आवेदित भूमि में से यदि पैट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/05/2008 के अनुसार पाईप लाईन के मांगीधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिग्री स्थित हो तो डिग्री सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11	राजस्थान में राजस्व (मागीन क्षेत्रों) में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।
12	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) एसई/स्थानि/जैरासी/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होंगी।
13	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं बनानी होंगी।
16	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली,पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएँ स्वयं विकसित करनी होंगी।
17	कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2007 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018/03 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के कम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/विल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूत (जयपुर)

क्रमांक/राजस्व-आ0य0/2019/ 306-309

दिनांक/ 11/02/2019

प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भू.रू./17/2133 दिनांक 27/03/2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोड़ा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. श्रीमति राधिका गुप्ता, धर्मपति श्री अमन गुप्ता, जाति महाजन निवासी 15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पीछे दूरिस्ट बंगला, बनीपार्क जयपुर जिला जयपुर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

कार्यालय तहसीलदार (भू.रू.) मौजमाबाद

क्रमांक/भू.आ.0/1719 दि. 28/2/19

पटवारी हल्का झरना की निम्नानुसार पालना दी जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूत (जयपुर)

तहसीलदार
तहसील मौजमाबाद (जयपुर)

2011

(5)

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : MOJMABAD

Fee Receipt
Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-02-2019 4:12 PM

Fee Receipt No	: 201902426000707	Receipt Date	: 28/02/2019
Name	: RADHIKA GUPTA,	Document S. No.	: 201901426000935
Address	: 15 ,MANIKYAPURI ,JAIPUR ,JAIPUR		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 75000	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 750	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 450	Stamp Duty	: ₹ 2250
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 3750
		Total Amount	: ₹ 3750

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)
e-Gras Challan 28694360 ₹ 3630 # Stamp N.A. ₹ 120

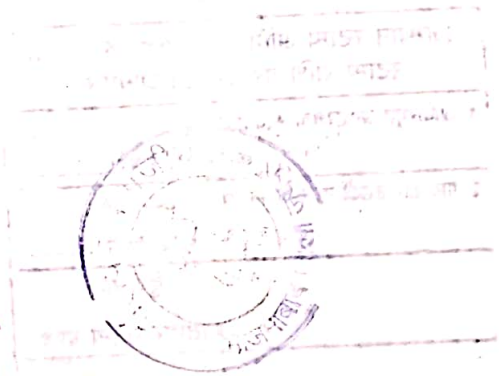
*Rebate U/S 9(1) ₹ 1500

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate

Cashier

(759/504)

Signature of recipient
and date of return receipt
मंजमाबाद (जयपुर)
SUB-REGISTRAR



—: पट्टा पंजीयन विलेख पत्र :-

राधिका गुप्ता पत्नी श्री अमन गुप्ता, आयु 48 वर्ष, जाति महाजन, निवासी-15, चाणक्यपुरी, तीज टूरिस्ट बंगले के पीछे, बनीपार्क, जयपुर, राजस्थान के पट्टा ग्रहिता हैं जिसे आगे प्रथमपक्ष शब्द से सम्बोधित किया गया है।

—क्रमश.....

Ryup

उप पंजीयक
मौजमाबाद (जयपुर)

25 FEB 2019

क 8519

राजस्थान राजस्थान

Presentation Endorsement

निवासी आज दिनांक 28 माह 08 वर्षीय (04:02 PM) बजे
श्री/श्रीमती/श्री RADHIKA GUPTA पुत्र/पुत्री श्री AMAN GUPTA
पुत्रांक उम्र 45 वर्ष, जति MAHAJAN, व्यवसाय Housewife
निवासी House No.: 15, Colony: MANIKYAPURI, Area: BEHIND HOTEL
TEEJ TOURIST BUNGLOW, BANIPARK, City: JAIPUR, Pin code:
302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

स्टाम्प दिनांक 25/15

शहरी क्षेत्र, प्रस्तुतकर्ता प्लॉट, दवा सड़क, जयपुर
201901426000935

उप पंजीयक
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
मौजमबाद (जयपुर)

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1988 के अन्तर्गत Fees Receipt Enacted by the Government of Rajasthan स्टाम्प राशि पर प्रयोजित अधिभार	
1. अध्यागत अवसराना सविधाओं हेतु दिनांक 28-02-2019 (धारा 2-क)-10% रुपये	201902426000707 750
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और सर्वान हेतु प्रतिनिधि शुल्क (धारा 2-ख)-10% रुपये	0 300
अन्य शुल्क ₹ कुल योग	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	2250
हस्ताक्षर स्टाम्प वेण्डर	450
कुल योग	3750

201901426000935

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक
मौजमबाद (जयपुर)



प्रथमपक्ष की अचल सम्पत्ति खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि ग्राम कोटजेवर, पटवार क्षेत्र झरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महलां, अन्तर्गत तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर में स्थित हैं।

पट्टा पंजीयन की जाने वाली भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर में से 10000 वर्गमीटर इस प्रकार कुल 10000 वर्गमीटर भूमि श्रीमान कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) के द्वारा जरिये आदेश क्रमांक:-राजस्व-आ0यो0/2019/305 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा 1.0100 हैक्टेयर भूमि में से 10000 वर्गमीटर आवासीय योजनार्थ संपरिवर्तन की गई भूमि ग्राम कोटजेवर, पटवार क्षेत्र झरना, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महलां, अन्तर्गत तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर में स्थित हैं।



उक्त रूपान्तरित की जाने वाली भूमि के तहत की जमा की जाने वाली राशि जिसके चालान संख्या जी.आर.एन. 27741294 दिनांक 23.01.2019 को रुपये 75,000/-रुपये अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपये इस प्रकार कुल प्रिमियम राशि 75,000/-रुपये अक्षरे पिचहत्तर हजार रुपये मद 0029 भू-राजस्व कोष में जमा कराकर उक्त भूमि को आवासीय योजनार्थ रूपान्तरित की गई।

Ryup

उप पजीयक
मौजमावाद (जयपुर)

Endorsement of Execution

अनु क्र. पक्षकारों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

पक्षकारों का प्रकार

1 श्री/श्रीमती/सुश्री SDO DUDU, पुत्र/पुत्री/पति श्री SDO, व्यवसाय ज्ञाति Rajasthan Government



Executant
Age : 0
Signature :

2 श्री/श्रीमती/सुश्री RADHIKA GUPTA, पुत्र/पुत्री/पति श्री AMAN GUPTA, व्यवसाय Housewife ज्ञाति MAHAJAN House No.:15, Colony: MANIKYAPURI, Area: BEHIND HOTEL TEEJ TOURIST BUNGLOW, BANIPARK, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN



Claimant
Age : 45
Signature : *[Signature]*

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पट्ट मुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।

प्रतिफल राशि रु 75000/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 75000/- पूर्व में ————— ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है, जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र. गवाहों का नाम व पता

छायाचित्र

अंगूठा

हस्ताक्षर

1 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री IQBAL SAMAD, पुत्र/पुत्री/पति श्री ALIMUDDEN ज्ञाति MUSLIM Age: 34 Add: House No.:A-1, Colony: HATWARA ROAD, Area: AJMER ROAD, IN FRONT OF ESI HOSPITAL, City: JAIPUR, Pin code: 302006, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN



Signature *[Signature]*

2 Name: श्री/श्रीमती/सुश्री ISLAM MANSCORI, पुत्र/पुत्री/पति श्री IBRAHIM KHAN MANSOORI ज्ञाति MUSLIM Age: 33 Add: House No.:0, Colony: GRAM BAGRU, Area: TEHSIL SANGANER, City: JAIPUR, Pin code: 303007, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN

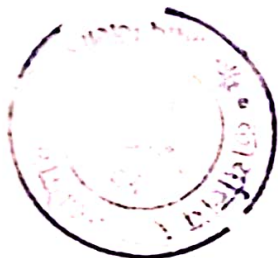


Signature *[Signature]*

201901426000935

उप निरीक्षक, MOJMABAD

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.



अतः यह लेख्य पत्र कुल किता 02 स्टाम्प किता 01 कीमती
100/-रूपये दो पाई पेपरों पर लेखबद्ध किया जिस की समस्त
ईबारत शुद्ध व सही है सौ प्रमाणित रहे।

इति दिनांक28.02.2019

संलग्न-: आवासीय योजनार्थ संपरिवर्तन किया गया पट्टा

[Signature]

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. *[Signature]*
IQBAL SAMAD S/O ALI MUDDIN
A-1 HAIWARA ROAD SODALA
JAIPUR

2. *[Signature]*
ISLAM MANSOORI
S/O IBRAHIM KHAN
VILL BAGRU TEH. SANGANER
JAIPUR



[Signature]
उप पंजीयक
मौजमाबाद (जयपुर)

Under 54 Endorsement

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 75000 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 2250 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 750, सरचार्ज राशि 450 कुल रु 3450 रसीद संख्या 201902426000707 दिनांक 28-02-2019 में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रु 2250 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

201901426000935

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक

उप पंजीयक, MOJMABAD
मोजिमाबाद (जयपुर)

Registration Endorsement

आज दिनांक 28/02/2019 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 451 में
पृष्ठ संख्या 22 क्रम संख्या 201903426100691 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1334 के
पृष्ठ संख्या 149 से 156 पर चस्पा किया गया।

201901426000935

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

उप पंजीयक

उप पंजीयक, MOJMABAD
मोजिमाबाद (जयपुर)



Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : SANGANER-I

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 05-09-2024 6:02 PM

Fee Receipt No	: 202402024016390	Receipt Date	: 05/09/2024
Name	: M/S SANJEEVNI BUILDHOME AS PARTNER MR SUNIL MAHESHWARI	Document S. No.	: 202401024012068
Address	: B-101, MAHIMA IRIS APARTMENT NEW SANGANER ROAD, JAIPUR, JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed		
Face Value	: ₹ 12003828	Evaluated Value	: ₹ 4845000
Ord-Registration Fee	: ₹ 120039	Fee for Memorandum Us- 64/67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us- 57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (Memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 216069	Stamp Duty	: ₹ 720230
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 1000
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
Site Inspection Fees	: 1500	Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 1059138
		Total Amount	: ₹ 1059138

Mode of Payment (# Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ68605354476275V ₹ 936299 # e-Registration Receipt RJ1799332496788 ₹ 122839

Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate Partner

Cashier

Signature of recipient
and date of return receipt

SUB-REGISTRAR

उप पंजीयक
सांगमनेर प्रथम



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt

FIRST COPY

SRO Unique ID. 24090543852R
S R Location SANGANER-I
Receipt No. RJ1799332496788
Name Of Seller RADHIKA GUPTA
Name Of Buyer MS SANJEEVNI BUILDHOME
Type of Document 21(I) - Sale Deed (Conveyance Deed)
ACC Reference NONSH/RAMPRASAD SHARMA/SANGANER

Receipt Date 05-SEP-2024 17:37

Raid Fees

Particulars

Amount (Rs.)

Registration Fees ₹ 120039
Copy of Fees ₹ 0
Late Fees ₹ 0
Other Charges ₹ 1500
Total Amount ₹ 122839
Grand Total ₹ 122879

(Rupees One Lakh Twenty-Two Thousand Eight Hundred Seventy-Nine Only)

Particulars

Amount (Rs.)

CSI ₹ 300
Record Inspection Fees ₹ 0
Commission Fees ₹ 1000
Service Charges ₹ 40



Statutory Alert : The authenticity of this receipt should be verified at www.shcilestamp.com . Any discrepancy in the details on this receipt and as available on the website renders it invalid.



Government of Rajasthan
e-Registration Fee Receipt



IN-RJ63605354476275W

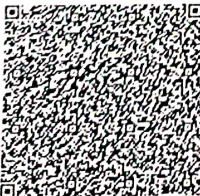
INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

Certificate No. : IN-RJ63605354476275W
Certificate Issued Date : 05-Sep-2024 05:34 PM
Account Reference : NONACC (SV)/ rj3270404/ SANGANER/ RJ-JP
Unique Doc. Reference : SUBIN-RJRJ327040412759658347133W
Purchased by : MS SANJEEVNI BUILDHOME
Description of Document : Article 21(i) Sale Deed (Conveyance Deed)
Property Description : PLOT NO 122 TO 173 SCHEME GREEN VIHAR VILLAGE KOTJEWAR
TEHSIL MOJMABAAD JAIPUR
Consideration Price (Rs.) : 1,20,03,828
(One Crore Twenty Lakh Three Thousand Eight Hundred And Twenty Eight only)
First Party : RADHIKA GUPTA
Second Party : MS SANJEEVNI BUILDHOME
Stamp Duty Paid By : MS SANJEEVNI BUILDHOME
Stamp Duty Payable (Rs.) : 7,20,230
(Seven Lakh Twenty Thousand Two Hundred And Thirty only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.) : 72,023
(Seventy Two Thousand And Twenty Three only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.) : 72,023
(Seventy Two Thousand And Twenty Three only)
Surcharge for Relief from Natural and Man-made Calamities (Rs.) : 72,023
(Seventy Two Thousand And Twenty Three only)
Stamp Duty Amount(Rs.) : 9,36,299
(Nine Lakh Thirty Six Thousand Two Hundred And Ninety Nine only)

For SANJEEVNI BUILDHOME

Partner

IN-RJ63605354476275W

QE 0017840014

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.eilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL



Warning

"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."

4100487100



// श्रीरामजी //

--: विक्रय-पत्र :-

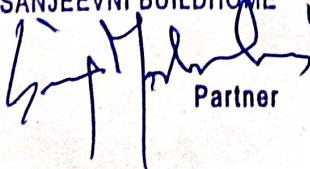
यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 05 सितम्बर सन् 2024 ईस्वी को निम्न प्रकार एवं निम्न पक्षकारान जिनके छायाचित्र ऊपर चस्पा किये गये हैं, के मध्य निष्पादित किया जाता है:-

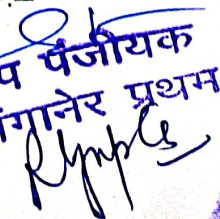
राधिका गुप्ता उम्र लगभग 53 वर्ष पत्नी श्री अमन गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लाट नं0 15, चाणक्यपुरी, तीज टुरिस्ट बंगले के पीछे बनीपार्क जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त, (आधार कार्ड संख्या [REDACTED] 8549, एवं पेन कार्ड नं0 ACUPG6386R) जिन्हें इस विक्रय-पत्र में आगे चलकर शब्द "विक्रेती-प्रथमपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया हैं (जिसमें प्रथमपक्ष स्वयं एवं प्रथमपक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, वारिसान्, उत्तराधिकारी, हितधारी, अंशधारी, अभिकर्ता, स्थानापन्न, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे) की ओर से.....

—: बहक :-

मैसर्स संजीवनी बिल्डहोम पंजीकृत कार्यालय पता:- अजीत टॉवर सेकिण्ड फ्लोर, नियर गैलेक्सी सिनेमा, शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर जरिये साझेदार श्री सुनील माहेश्वरी उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी जाति माहेश्वरी निवासी फ्लैट नम्बर बी-101, महिमा आइरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड, बिग बाजार के सामने, स्वेज फार्म, रामनगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान प्रान्त (आधार नं0 [REDACTED] 8090) जिन्हें इस विक्रय-पत्र में आगे चलकर शब्द "क्रेता/फर्म, द्वितीयपक्ष" के नाम से सम्बोधित किया गया हैं, (जिसमें द्वितीयपक्ष एवं द्वितीयपक्ष के तमाम पारिवारिक सदस्य, उत्तराधिकारी, हितधारी, अंशधारी, स्थानापन्न, अभिकर्ता, प्रशासक, ऐसाईनिज, नोमिनीज इत्यादि सभी पाबन्द व सम्मिलित रहेंगे) के हित में निम्न प्रकार लिखा, तहरीर व तकमील किये गये हैं :-

For SANJEEVNI BUILDHOM


Partner

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम


लगातार..... 2





//2//



यह कि वाके ग्राम कोटजेवर, पटवार हल्का झरना, भू.अभि.नि. महलों, तहसील मौजमाबाद, जिला दूदू (जयपुर) राज. के अन्तर्गत संपरिवर्तित भूमि खसरा नम्बर 749/504, रकबा 1.0100 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि मुझ विक्रेती के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे जमाबन्दी में दर्ज व अंकन है। तत्पश्चात् उक्त वर्णित खसरा नम्बर 749/504 रकबा 1.0100 हैक्टेयर संपूर्ण भूमि को प्रथमपक्ष ने भू-रूपान्तरित वास्ते आवश्यक दस्तावेज व चाही गई राशियाँ व शुल्क जमा करवाकर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू (जयपुर) की राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम-2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये आवासीय प्रयोजन प्राधिकृत कार्यालय उपखण्ड अधिकारी दूदू, जयपुर, (राज.) क्रमांक/राजस्व आ0यो0/2019/306-309, दिनांक 11-02-2019 ई0 को मुझ प्रथमपक्ष के हित में जारी किया गया। इसके बाद मुझ प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित खसरा नम्बर 749/504, रकबा 10100 वर्गमीटर में से कुल क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर संपूर्ण पर छोटे-छोटे भूखण्डस् के रूप में एक आवासीय योजना " ग्रीन विहार " के नाम से सुविख्यात किया गया। उक्त आवासीय योजना का ले आउट प्लान/कॉलोनी नक्शा अनुमोदित संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 305, दिनांक 11/02/2019 ईस्वी को जारी किया गया। उक्त अनुमोदित मानचित्रानुसार वर्णित भूमि में सृजित आवासीय भूखण्ड निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज)	क्र.स.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गगज)
1	122	128.75	2	123	125
3	124	125.0	4	125	125.0
5	126	125.0	6	127	125.0
7	128	194.62 (कॉर्नर)	8	129	169.62 (कॉर्नर)
9	130	125.0	10	131	125.0
11	132	125.0	12	133	125.0
13	134	185.84	14	135	101.28
15	136	125.0	16	137	125.0
17	138	125.0	18	139	125.0
19	140	169.62 (कॉर्नर)	20	141	194.62 (कॉर्नर)
21	142	125.0	22	143	125.0
23	144	125.0	24	145	125.0
25	146	125.0	26	147	128.75
27	148	128.75	28	149	125.0
29	150	125.0	30	151	125.0
31	152	125.0	32	153	125.0
33	154	194.62 (कॉर्नर)	34	155	169.62 (कॉर्नर)
35	156	125.0	36	157	125.0
37	158	125.0	38	159	174.35
39	160	69.75	40	161	93.89
41	162	96.06	42	163	98.22
43	164	135.78(कॉर्नर)	44	165	165.03 (कॉर्नर)
45	166	109.82	46	167	117.82
47	168	126.33	48	169	134.83
49	170	141.11	50	171	134.87
51	172	126.70	52	173	118.52

लगातार..... 3

For SANJEEV BUILDING

Partner





Presentation Endorsement

Print Date: 9/5/2024 6:02:26 PM

आज दिनांक 05 माह 09 सन् 2024 को 05:47 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RADHIKA GUPTA पुत्र/पुत्री/पति श्री AMAN GUPTA
उम्र 53 वर्ष, जाति 0-MAHAJAN, व्यवसाय Other
निवासी House No.:15, Colony: CHANAKYAPURI, Area: BEHIND
TEEJ TOURIST BUNGLOW JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code:
302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक
सांगानर प्रथम
SANGANER-I

Fees Receipt Endorsement

Print Date: 9/5/2024 6:02:26 PM

रसीद नं.	202402024016390
दिनांक	05-09-2024
पंजीयन शुल्क ₹	120039
प्रतिलिपि शुल्क ₹	0
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	1000
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	720230
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	216069
मौका निरीक्षण शुल्क ₹	1500
कुल योग	1059138

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

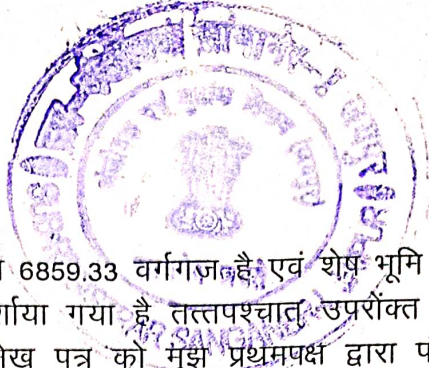
Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

eStamp IN-RJ63605354476275W ₹
936299 # e-Registration Receipt
RJ1799332496788 ₹ 122839

उप पंजीयक
सांगानर प्रथम
SANGANER-I



//3//



यह कि उक्त वर्णित भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 6859.33 वर्गगज है एवं शेष भूमि वर्णित अनुमोदित मानचित्र में सड़क व पार्क के रूप में दर्शाया गया है तत्पश्चात् उपरोक्त वर्णित आवासीय संपरिवर्तन आदेश को पट्टा पंजीयन विलेख पत्र को मुझ प्रथमपक्ष द्वारा पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक मोजमाबाद (जयपुर) के यहां दिनांक 28-02-2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 451 में पृष्ठ संख्या 22 क्रम संख्या 201903426100691 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1334 के पृष्ठ संख्या 149 से 156 पर नियमानुसार चरपा किया गया है। इस प्रकार उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की संपरिवर्तित आवासीय भूमि जिसका क्षेत्रफल 10000 वर्गमीटर सम्पूर्ण के प्रथमपक्ष एकमात्र बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के मालिकनी, स्वामीनी, काबिज व अधिकारी है, इसलिये सम्पूर्ण भूमि को (जिसे इस विक्रय-पत्र में आगे इस विक्रय-पत्र "अचल सम्पत्ति" से सम्बोधित किया गया है) आज तक समस्त प्रकार के झगड़े-टण्टों से, वाद विवादों एवं ऋण भार से सर्वथा मुक्त व पाक है। प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित संपरिवर्तित भूमि/आवासीय योजना के भूखण्डस् सम्पूर्ण को आज से पूर्व किसी बैंक, वित्तीय संस्था, कम्पनी, कार्पोरेशन, संस्था आदि के हित में रहन, विक्रय, बख्शीश, जमानत, कुर्की, डिर्क्री, पूण्य वसीयत आदि से बन्धित अथवा हस्तांतरित नहीं कर रखी है तथा ना ही कोई इकरारनामा या संविदा लिखित या मौखिक रूप से कर कोई रसीद आदि ही लिख रखी है। उक्त वर्णित सम्पत्ति के संदर्भ में किसी भी कोर्ट, थाना आदि में कोई विवाद विचाराधीन नहीं है तथा किसी भी राजस्व न्यायालय, दिवानी न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय से इस कृषि भूमि पर कोई स्थगन आदेश जारी किया हुआ नहीं है तथा उक्त वर्णित सम्पत्ति न ही अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित है। प्रथमपक्ष को उक्त वर्णित आवासीय योजना को हर प्रकार से अपने काम में लेने व इसको हर प्रकार से हस्तांतरित/विक्रय करने के सम्पूर्ण स्वत्वाधिकार प्राप्त है। जिसके लिये प्रथमपक्ष पूर्णतया स्वतंत्र है।

यह कि मुझ प्रथमपक्ष (विक्रेती) को अपने व्यापारिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रूपयो की आवश्यकता है, इसलिये प्रथमपक्ष ने ग्राम कोटजेवर, पटवार हल्का झरना, के अन्तर्गत तहसील मोजमाबाद, जिला जयपुर (नवसृजित जिला दूदू) में एक आवासीय योजना " ग्रीन विहार " में उपरोक्त वर्णित तालिका में दर्शित आवासीय भूखण्डस् संख्या क्रमशः 122 लगायत 173, जिनका संयुक्त कुल क्षेत्रफल 6859.33 वर्गगज अर्थात् 5735.085 वर्गमीटर सम्पूर्ण को समस्त स्वामित्व मालिकाना हक हकूको व अधिकारो सहित, तमाम अकृषि प्रयोजनार्थ अधिकारो व अनुमोदन मानचित्रानुसार सहित, तमाम जमा राशियां मय लांभाश सहित तथा इसमें बिना किसी अपने स्वयं व अपने परिजनो के किसी भी अंश व भाग के कुल मुवलिंग विक्रयमूल्य प्रतिफल धनराशि 1,20,03,828/-रूपये अक्षरे एक करोड बीस लाख तीन हजार आठ सो अठाईस रूपये मात्र के प्रतिफल सम्पूर्ण की एवज में द्वितीयपक्ष क्रेता/फर्म मैसर्स संजीवनी बिल्डहोम पंजीकृत कार्यालय पता:- अजीत टॉवर सेकिण्ड फ्लोर, नियर गैलेक्सी सिनेमा, शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर जरिये साझेदार श्री सुनील माहेश्वरी उम्र 49 वर्ष पुत्र श्री ब्रजमोहन मालपानी जाति माहेश्वरी निवासी प्लैट नम्बर बी-101, महिमा आइरिस अपार्टमेन्ट, न्यू सांगानेर रोड, बिग बाजार के सामने, स्वेज फार्म, रामनगर, जयपुर, जिला जयपुर, को कतई विक्रय कर दिया है.....

For SANJEEVNI BUILDHOME

Partner

लगातार..... 4

Endorsement of Execution

Print Date: 9/5/2024 6:02:26 PM

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री RADHIKA GUPTA , पुत्र/पुत्री/पति श्री AMAN GUPTA , व्यवसाय Otherजाति 0-MAHAJAN House No.:15, Colony: CHANAKYAPURI , Area: BEHIND TEEJ TOURIST BUNGLOW JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 53 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री M/S SANJEEVNI BUILDHOME AS PARTNER MR SUNIL MAHESHWARI , पुत्र/पुत्री/पति श्री BRIJ MOHAN MALPANI , व्यवसाय Otherजाति 0-MAHESHWARI House No.:B-101, Colony: MAHIMA IRIS APARTMENT,NEW SANGANER ROAD, Area: SWEZ FARM RAM NAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302019, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Claimant Age : 50 Signature :

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance Deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 12003828/- पूर्व में / मेरे समक्ष / मैं से रु 12003828/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAJIV TAK , पुत्र/पुत्री/पति श्री BHAG CHAND TAK जाति TAK Age: 49 Add: House No.:131, Colony: ASIND NAGAR , Area: SANGANER , City: JAIPUR, Pin code: 302029, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री RAM SINGH CHOUDHARY , पुत्र/पुत्री/पति श्री GIRDHARI LAL CHOUDHARY जाति JAT Age: 36 Add: House No.:0, Colony: WARD NO 06, Area: AMARPURA JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 303804, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम



//4//



एवं विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण धनराशि प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से निम्न प्रकार प्राप्त कर ली है:-

राशि	चैक नम्बर / टीडीएस	बैंक का नाम
27,43,600 / -रु.	000028	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
27,43,600 / -रु.	000029	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
29,96,590 / -रु.	121303	येस बैंक
5,00,000 / -रु.	000003	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
5,00,000 / -रु.	000011	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
24,00,000 / -रु.	000019	एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक
1,20,038 / -रु.	जरिये टीडीएस द्वारा	
1,20,03,828 / -रु.	कुल प्रतिफल राशि	

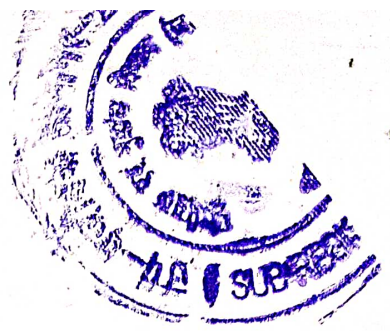
इस प्रकार विक्रय मूल्यधन की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि उपरोक्तानुसार प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर लिया है, जिसकी प्राप्ति प्रथमपक्ष इस विक्रय पत्र में सहर्ष स्वीकार करती/करता है तथा प्रथमपक्ष ने विक्रय की गई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को समस्त अधिकारों, मालिकाना हक व हकूकों सहित व सम्पूर्ण स्वत्वाधिकारों सहित भौतिक व वास्तविक कब्जा मौके पर नपती करवाकर मय समस्त मूल दस्तावेजात सहित के द्वितीयपक्ष को संभला दिया है, जिसे द्वितीयपक्ष इस विक्रय पत्र में संमक्ष गवाहान् सहर्ष स्वीकार करता है। और अब उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति बाबत् प्रथमपक्ष के वारिसो, भागीदार, उत्तराधिकारियों स्थानापन्नो, प्रतिनिधियों, हकी, अंशियों आदि का कोई भी हक व अधिकार न तो रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि अब उक्त वर्णित क्रय की गई अचल सम्पत्ति का द्वितीयपक्ष एकमात्र मालिक, स्वामी, कब्जाधारी व स्वत्वाधिकारी हो गया है तथा द्वितीयपक्ष को उक्त सम्पत्ति बाबत् समस्त स्वत्वाधिकार, मालिकानाधिकार व हस्तान्तरण के प्रथमपक्ष के समान ही प्राप्त व निहित हो गये है। अब द्वितीयपक्ष जिस प्रकार भी चाहे उक्त वर्णित क्रयशुदा सम्पत्ति का अपने नाम से नाम हस्तान्तरण करावे, टाउनशिप पॉलिसी के तहत नक्शा अनुमोदन करवाये, योजना का अनुमोदन करवाये, कब्जा-पत्र, आवंटन-पत्र, लीज-डीड/पट्टा विलेख आदि अपने स्वयं व द्वितीयपक्ष द्वारा मनोनीत व्यक्ति/सदस्य का नाम अंकित करवाकर संबंधित कार्यालय जयपुर/दूदू में देय समस्त राशियां जमा करवाकर पट्टादि प्राप्त करने को पूर्णतया स्वतन्त्र रहेगा, उक्त वर्णित विक्रित सम्पत्ति को अपने किसी भी प्रकार से उपयोग व उपभोग में लेवे, उक्त विक्रित आवासीय योजना के भूखण्डस् को किसी भी व्यक्ति को विक्रय करे, उक्त क्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" पर निर्माण करावे, बिजली, पानी आदि कनेक्शन अपने नाम से प्राप्त करें तथा उक्त क्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" में स्वयं रहे, इस पर किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण, अनुदान प्राप्त करें, इसमें स्वयं रहे, किसी को किराये पर देवे, उक्त सम्पत्ति का किसी भी नामित व्यक्ति, दीगर, संस्था आदि को किसी भी मूल्य में सौदा तय बैचान करें, किसी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, विक्रय, बख्शीष आदि कर फायदा उठावे, कहने का तात्पर्य यह कि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति का हर प्रकार से उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित उठाने में पूर्णतया स्वतन्त्र एवं सक्षम हो गया है। इसमें प्रथमपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों, परिवारजनो, वारिसानों की कोई आपत्ति या एतराज मान्य नहीं समझी जावेगी।

For SANJEEVNI BUILDHOME

Partner

लगातार..... 5



Enter in Minute Book Endorsement

Print Date:9/10/2024 11:00:42 AM

Pending In Minute Book No 202409024001909
दिनांक 06/09/2024 कारण SITE INSPECTION

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Under 54 Endorsement

Print Date:9/10/2024 11:00:42 AM

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि इस लेख पत्र की मालियत रु 12003828 मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक राशि रु 720230 पर कमी पंजीयन शुल्क रु 120039, सरचार्ज राशि 216069 कुल रु 1056338 रसीद संख्या 202402024016390 दिनांक 05-09-2024 में जमा किये गये हैं।

अतः दस्तावेज को रु 720230 के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Release from Minute Book Endorsement

Print Date:9/10/2024 11:00:42 AM

Release from Minute Book No 202409024001954
दिनांक 10/09/2024 कारण Release for Registration

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम

Registration Endorsement

Print Date:9/10/2024 11:00:42 AM

आज दिनांक 10/09/2024 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1431 में
पृष्ठ संख्या 85 क्रम संख्या 202403024110057 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5320 के
पृष्ठ संख्या 25 से 36 पर चस्पा किया गया।

202401024012068

Sale Deed (Conveyance Deed)

उप पंजीयक, SANGANER-I
सांगानेर प्रथम



//5//



यह कि उक्त वर्णित विक्रित सम्पत्ति बाबत प्रथमपक्ष के अधिकारों की कोई कमी या त्रुटि निकलने के कारण भविष्य में अगर कभी उक्त विक्रय की गई सम्पत्ति या इसका कोई अंश, भाग द्वितीयपक्ष के कब्जे व अधिकार से निकल जावे और उससे द्वितीयपक्ष को कोई क्षति हो तो द्वितीयपक्ष को उसके मूल्य की उस समय की प्रचलित बाजार भाव से राशि, इस विक्रय-पत्र में हुआ समस्त खर्चा, नवीन निर्माण आदि की लागत व अन्य समस्त हानि व्यय की राशि प्रथमपक्ष या प्रथमपक्ष की अन्य हर प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से या इनके वारिसों से खर्चा व हर्जा सहित एकमुश्त वसूल करने का पूर्ण हक एवं अधिकार होगा, उसमें प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान् आदि को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा, यदि इस संबंध में प्रथमपक्ष एवं प्रथमपक्ष के वारिसान् आदि द्वारा कोई आपत्ति की जावेगी तो वह प्रभाव शून्य होगी। यह कि उक्त विक्रय की गई "अचल सम्पत्ति" बाबत आज से पूर्व का किसी भी प्रकार को कोई वाद व दावा व ऋण जमानत आदि का भार सरकारी, अर्द्धसरकारी व जनसाधारण का कोई होगा या निकलेगा तो उन समस्त का निपटारा व चुकारा प्रथमपक्ष स्वयं अपने धन से कर विक्रय की गई सम्पत्ति को द्वितीयपक्ष के हित में पूर्ण स्वतन्त्र करा देगा।

यह कि द्वितीयपक्ष अब इस विक्रय-पत्र के जरिये उक्त क्रय की गई सम्पत्ति को जे. डी.ए., नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि संबंधित समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी महकमात में अपने स्वयं के नाम पर दर्ज करा लेवे, इसके लिये द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों, बयानों या स्वयं उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का निःशुल्क पूर्ण सहयोग करेगा, जिसके लिये प्रथमपक्ष इस विक्रय-पत्र में भी वचनबद्ध होता है।

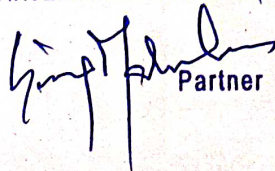
यह कि इस विक्रय पत्र से पूर्व के कोई भी इकरानामे, रसीदे, इत्यादि इस विक्रय पत्र के विरुद्ध होने पर वह निरस्त व प्रभाव शून्य मानी जावेगी तथा पक्षकारों के अन्तिम अधिकार इस विक्रय पत्र में अंकित शर्तों व शरायतों के अनुसार ही वैध व मान्य होंगे।

यह कि उक्त वर्णित सम्पत्ति के विक्रय-पत्र में यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि होती है या भूलवश रह जाती है तो उसके संशोधन बाबत प्रथमपक्ष के स्वयं के उपस्थित होने की आवश्यकता होगी तो प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष का बिना किसी मांग राशि के एवं बिना किसी विवाद के सहयोग करेगा, जिसके लिये प्रथमपक्ष पूर्ण सहमत हैं।

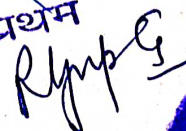
इस विक्रय-पत्र संबंधी समस्त खर्चा स्टाम्प व पंजीयन शुल्क आदि प्रत्येक प्रकार का द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय पाया है, जो द्वितीयपक्ष ने मूल्यधन राशि के अलावा स्वयं ने अपने पास से वहन किया है। उक्त वर्णित भूखण्ड्स खाली है तथा इनमें किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं है।

विक्रय किये गये प्लॉट को भली प्रकार से समझने के लिये विक्रय पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है एवं उक्त मानचित्र इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंग समझा जावेगा।

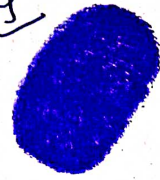
For SANJEEVNI BUILDHOMES


Partner

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम



लगातार..... 6



यह विक्रय-पत्र प्रथमपक्ष (विक्रेती) ने अपनी पूर्ण राजी खुशी, पूर्ण होवास हवास की अवस्था में, बिना किसी नशे पते के, अपनी स्थिर बुद्धि की अवस्था में छः सादा हरे पेपरों पर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष इस विक्रय-पत्र की समस्त ईबारतो को भली प्रकार से प्रकार एव स्वीकार करके अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी करते समय द्वितीयपक्ष से उक्त विक्रयशुदा "अचल सम्पत्ति" की समस्त विक्रय राशि प्राप्त करके द्वितीयपक्ष को उक्त विक्रयशुदा सम्पत्ति पर मालिकाना कब्जा कराकर इस विक्रय-पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं कि वक्त जरूरत काम आवे। इति दिनांक 05 सितम्बर सन् 2024 ईस्वी।

For SANJEEV BUILDHOME

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष (क्रता)

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष (विक्रेती)

गवाह (1)

हस्ताक्षर:-

नाम श्री राजीव टाक पुत्र श्री भागचन्द टाक आयु 48 वर्ष जाति टाक
निवासी मकान नम्बर 131, आसीन्द नगर, सांगानेर, जयपुर।
आधार कार्ड नं० [REDACTED] 6600

गवाह (2)

हस्ताक्षर :-

नाम श्री रामसिंह चौधरी पुत्र श्री गिरधारी लाल चौधरी उम्र 36 वर्ष जाति जाट
निवासी वॉर्ड नम्बर 06, अमरपुरा, जयपुर, जिला जयपुर।
आधार नं० [REDACTED] 1369

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम



जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- कोटजेवर
पटवार हल्का :- झरना
भू.अभि.नि. :- महलौ
तहसील :- मौजमाबाद
जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत् :- 2076-2079 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 135
खाता संख्या पुराना :- 5

काश्तकार का नाम:-

1. राधिकागुप्ता पत्नि अमनगुप्ता हिस्सा- पूर्ण जाति- महाजन नि.प्लॉट नं.15 चाणक्यपुरी होटल तीज के पिछे ट्रिस्ट बंगला बनी पार्क जयपुर
जयपुर खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
749/504	1.0000	आवासीय प्रयोजनार्थ	1.0000			
802/504	0.0100	बारानी 2	0.0100	0.03		
कुल खसरे - 2	1.0100		1.0100	0.0300		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Dec-2024

